



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218724  
CG-DL-E-17032020-218724

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 146]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

सा.का.नि. 170(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) दूसरा संशोधन नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में अनुलग्नक में प्ररूप सं. जीएनएल-2 में,  
(i) क्रम सं. 3 में, मद संख्या "कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 का प्ररूप 159" के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन फाइलिंग”

- (ii) प्रथम सत्यापन कॉलम के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण

नाम .....

पद .....”।”

[फा. सं. 01/16/2013 सीएल.V (पार्ट-I)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 268(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए –

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि. 122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि. 438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि. 493(अ)	06.05.2016
5.	सा.का.नि. 48(अ)	20.01.2018
6.	सा.का.नि. 435(अ)	07.05.2018
7.	सा.का.नि. 616(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि. 797(अ)	21.08.2018
9.	सा.का.नि. 905(अ)	20.09.2018
10.	सा.का.नि. 143(अ)	21.02.2019
11.	सा.का.नि. 329(अ)	25.04.2019
12.	सा.का.नि. 340(अ)	30.04.2019
13.	सा.का.नि. 527(अ)	25.07.2019
14.	सा.का.नि. 749(अ)	30.09.2019
15.	सा.का.नि. 127(अ)	18.02.2020

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

**G.S.R. 170(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 396, 398, 399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Second Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, in Form No. GNL-2,

(i) in serial number 3, after item number “Form 159 of the Companies (Court) Rules, 1959”, the following item shall be inserted, namely:-

“Filing under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016”.

(ii) after the first verification column, the following shall be inserted, namely.-

“Particulars of the person signing and submitting the form

Name

Capacity

”.”

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended by:

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438(E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018
6.	G.S.R. 435(E)	07-05-2018
7.	G.S.R. 616(E)	05-07-2018
8.	G.S.R. 797(E)	21-08-2018
9.	G.S.R. 905(E)	20-09-2018
10.	G.S.R. 143(E)	21-02-2019
11.	G.S.R. 329(E)	25-04-2019
12.	G.S.R. 340(E)	30-04-2019
13.	G.S.R. 527(E)	25-07-2019
14.	G.S.R. 749(E)	30-09-2019
15	G.S.R. 127(E)	18-02-2020